बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर (तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, महेशखूँट, गोगरी को जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–1074 दिनांक–23.12.2011 द्वारा खरीफ मौसम वर्ष–2011–12 के अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु पर्यवेक्षक के रूप में गोगरी प्रखण्ड अंतर्गत नियुक्त किया गया था। जहाँ उन्हें मूल रूप से पैक्सों एवं किसानो के माध्यम से सरकार द्वारा निधारित मूल्य पर गेहूँ क्रय कर भंडारित करने एवं मिलरो को गेहूँ हस्तगत कराने का दायित्व दिया गया था श्री रवीन्द्र द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष, 2012–13 में पैक्स के माध्यम से 23,672.050 क्वीं0 एवं सीधे किसान से 50.00 क्वीं0 यथा कुल 23,722.50 क्वीं0 गेहूँकी अधिप्राप्ति की गयी थी। 23,722.50 क्वीं0 गेहूँ में से बेस गोदाम खगड़िया को 2175.00 क्वीं0 एवं 1110.00 क्वीं0 भारतीय खाद्य निगम को यथा कुल, 3285.00 क्वीं0 गेहूँ ही भेजा जा सका है। निरीक्षण के दौरान क्रय केन्द्र पर 10441.50 क्वीं0 गेहूँ शेष बचा हुआ था जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जिलाधिकारी, खगड़िया के आदेशानुसार उक्त गेहूँ का निलाम किया गया था परंतु निलामकर्ता को 5397.42 क्वीं0 गेहूँ ही उपलब्ध कराया गया । शेष 5044.07 क्वीं0 गेहूँ क्रय केन्द्र पर जाँच के समय भंडारित नहीं पाया गया।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के पत्रांक–303, दिनांक–21.03.14 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध गेहूँ गबन की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर किया गया एवं पत्रांक–485, दिनांक–11.04.15 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोगरी द्वारा वर्ष, 2012–13 के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ 5044•07 क्वि0 गबन के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज की गयी है ।

उक्त के क्रम में श्री सिन्हा, तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, (महेशखूँट) गोगरी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–481 / रा0खा0नि0, दिनांक–11.04.15 द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 में आकलित मूल्य रूपये 68,23,146=00 (अड़सठ लाख तेईस हजार एक सौ छियालिस) के गबन के आरोप में प्राप्त प्रपत्र–'क' उपलब्ध कराते हुए, कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया।

इस प्रकार श्री सिन्हा के विरूद्ध शेष 5044•07 क्वि0 गेहूँ क्रय केन्द्र पर जाँच के क्रम में नहीं पाया गया फलस्वरूप सरकार को लगभग 71,93101 रू0 के आर्थिक क्षति पहुचाई गयी जिसमें उक्त गवन / क्षति की की वसूली के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा 3,69,955/– जमा कर दिया गया। अतएव 5044•07 क्वि0 गेंहूँ की क्षति/गवन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' के आलोक में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक–1625, दिनांक–08.06.15 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया। श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त रहने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक–2065, दिनांक–15.07.15 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही में डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, उप श्रमायुक्त, बेगूसराय को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार, श्रम अधीक्षक, बेगूसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई करते हुए पत्रांक–297, दिनांक–05.04.2016 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित बताया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के समीक्षोपरांत प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा से कार्यालय पत्रांक–5434, दिनांक–28.12.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने निदेश दिया गया। साथ ही कार्यालय पत्रांक–5435, दिनांक–28.12.16 द्वारा प्रबंधक, बिहार स्टेट फूड सिविल

सप्लाईज कार्रपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं कार्यालय पत्रांक–5436, दिनांक–28.12.16 द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया से संचालन पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त, बेगूसराय से समर्पित अधिगम पर अपना मंतव्य उपलब्ध का अनुरोध किया गया।

श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा को प्रेषित पत्र पत्रांक–5434, दिनांक–28.12.16 वापस चले आने के कारण कार्यालय पत्रांक–217, दिनांक–19.01.17 प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री सिन्हा को उनके स्थानांतरित स्थल सरैया, मुजफ्फरपुर में योगदान एवं इसकी सूचना स्वंय उपस्थित होकर श्रमायुक्त, बिहार के कार्यालय में देने का निदेश दिया गया। जिसकी सूचना दिनांक–22.01.2017 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित हुई थी, साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि वे उक्त कार्य स्थल पर योगदान नहीं करते है तो नियमानुसार फरार घोषित करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

उक्त आलोक में श्री सिन्हा द्वारा अंचलाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में दिनांक–02.02.17 के पूर्वाहन् में योगदान देने के पश्चात दिनांक–03.02.17 को श्रमायुक्त, कार्यालय पटना में इस संबंध में सूचना दी है ।

इस कार्यालय पत्रांक–739, दिनांक–01.03.17 एवं 1060, दिनांक–18.03.17 द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया से, पत्रांक–740, दिनांक–01.03.17 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाईज कार्रपोरेशन लिमिटेड, पटना से पुनः संचालन पदाधिकारी, द्वारा समर्पित अधिगम पर अपना मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु स्मार पत्र भेजा गया। साथ ही श्री सिन्हा से कार्यालय पत्रांक–741, दिनांक–01.03.17 एवं 1059, दिनांक–18.03.17 द्वारा पुनः द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस पत्र की प्रति तामिला श्री सिन्हा को कराने हेतु उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर एवं श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया।

श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–260, दिनांक–11.03.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा के योगदान दिये जाने संबंधी सूचना कार्यालय को प्राप्त नही रहने के कारण उक्त पत्र को वापस लौटाया जाता है ।

प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाईज कार्रपोरेशन लिमिटेड, पटना के पत्रांक–2487, दिनांक–16.03.17 द्वारा अपना मंतव्य दिया गया है कि "श्री सिन्हा द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 10441•50 क्वि0 भंडारित गेंहूँ ससमय हस्तानांतरित नहीं किया गया ऐसी स्थिति में गेहूँ के गुणवत्ता का ह्रास हुई इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10441•50 क्वि गेंहूँ को लेने से अस्वीकार कर दिया गया। अतएव श्री सिन्हा के विरूद्ध कठोर वृहद दंड दिये जाने पर विचार किया जाना उचित है। साथ ही श्री सिन्हा के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर गबन की कुल राशि परिवहन व्यय सहित मो0–2,28,88,800 रू0 की वसूली कर राशि निगम को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय" ।

उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–504, दिनांक–24.04.17 द्वारा श्री सिन्हा द्वारा योगदान संबंधी कोई जानकारी नही रहना सूचित किया है एवं पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री सिन्हा के संबंध में उनके द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया था । लेकिन कार्यालय में आज तक उपस्थित नही रहे है एवं उनका कोई स्थायी या अस्थायी पता भी कार्यालय को ज्ञात नही है। अतएव पत्र संख्या–1059, दिनांक–18.03.17(द्वितीय कारण पृच्छा) में संलग्न आदेश संख्या–2065, दिनांक–15.07.15 मूल रूप से संलग्न कर लौटायी जा रही है ।

पुनः श्री सिन्हा को कार्यालय पत्रांक–2821, दिनांक–16.05.17 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय के तहत अंतिम अवसर देते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में दण्ड के बिन्दू पर 15 दिनों के अन्दर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया ।

जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–659, दिनांक–15.05.17 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई के संदर्भ में बिन्दुवार मंतव्य प्राप्त हुआ है। उन्होनें श्री सिन्हा को विन्दु 1 से 3 के लिए जबावदेह एवं दोषी पाये जाने पर अपनीं सहमति प्रदान की है ।

कार्यालय पत्रांक–3074, दिनांक–31.05.17 एवं 4146, दिनांक–04.08.17 द्वारा श्री सिन्हा से अपना स्पष्टीकरण शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया। बार–बार श्री सिन्हा का पत्र उनके कार्यालय पता एवं आवासीय पता से वापस आ जाने के कारण उनके आवासीय पता पर पत्र तामिला कराने हेतु श्रम अधीक्षक, पटना को निदेश दिया गया था जिसके आलोक मे श्रम अधीक्षक, पटना के पत्रांक–2016, दिनांक–11.08.17 द्वारा सूचित किया गया है कि आवास बंद रहने के कारण पत्र का तामिला नहीं कराया जा सका ।

कार्यालय पत्रांक–5218, दिनांक–03.10.17 द्वारा श्री सिन्हा के अनाधिकृत अवकाश संबंधी सूचना उपलब्ध कराने का निदेश उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर को दिया गया । उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1467, दिनांक–09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सिन्हा द्वारा सरैया अंचल में योगदान किये जाने की औपचारिक सूचना नही दी गयी है। अतः इनके अनाधिकृत अवकाश के बारे में कोई सूचना अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से दिया जाना अपेक्षित नही है ।

जिलाधिकारी, खगड़िया एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से कार्यालय पत्रांक–5214, दिनांक–03.10.17 एवं 6370, दिनांक–15.11.17 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज है अथवा नही के संबंध में सूचना माँगी गयी ।

पुनः कार्यालय पत्रांक–6372, दिनांक–15.11.17 द्वारा उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर से श्री सिन्हा की अनाधिकृत अनुपस्थिति के संदर्भ में सूचित करने हेतु पत्र भेजा गया ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर द्वारा समाचार पत्र में अधिगम के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने संबंधी निदेश दिये जाने हेतु सूचना के प्रकाशित होने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक–13.12.17 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी अपना स्पष्टीकरण दिया है। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कुछ भी नयी बात नही कही गयी है।

जिलाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–2668, दिनांक–27.11.17 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध दायर प्राथिमिकी, कांड दैनिकी एवं पर्यवेक्षण रिर्पोट जो जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया से प्राप्त है की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायी गयी है । जिससे ज्ञात होता है कि श्री सिन्हा के विरूद्ध महेशखुट थाना कांड सं0–49/15 दिनांक–12.04.2015 में धारा–406/409/420 भा0द0वि0 के तहत् मुकदमा दर्ज है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम, अधिगम पर प्रबंधक, बिहार स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, बिहार, पटना, ज़िलाधिकारी, खगड़िया, उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर, खगड़िया श्रम अधीक्षक, खगड़िया से मांगे गये मन्तव्य के पश्चात उन सभी से प्राप्त मन्तव्य एवं श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के समीक्षोंपरांत श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित अरोपों को प्रमाणित पाया गया। श्री सिन्हा को प्रमाणित अरोपों का दोषी पाते हुए प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिन्हा के

विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग—V के नियम—14(xi) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करते एवं श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है:—

(1) श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर (तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया—सह—क्रय केन्द्र प्रभारी, महेशखूँट, गोगरी का वरीयता क्रमांक—65, जन्मतिथि— 06.01.1960, नियुक्ति तिथि—18.08.1983 को सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

(2) श्री सिन्हा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतेय नहीं होगा।

श्री सिन्हा के विरूद्ध गबन की गयी राशि के वसूली हेतु निलामपत्रवाद एवं महेशखूँट थाना काण्ड सं0—49 / 15 दि0—12.04.15 दायर है जिस पर प्रशासी विभाग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। उक्त कार्रवाई अलग से चलती रहेगी।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त,बिहार।

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— दिनांकः—
प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— दिनांकः—
प्रतिलिपि— निदेशक (कृ0श्र0), बिहार / उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर / सहायक श्रमायुक्त, गया श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर .एवं श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर (तत्कालीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया—सह—क्रय केन्द्र प्रभारी, महेशखूँट, गोगरी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर / सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर / श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का तामिला कराते हुए श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा को कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— दिनांकः—
प्रतिलिपि— अपर सचिव, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कोरपोरेशन लिमिटेड, खगड़िया को उनके पत्रांक—481 रा0खा0नि0, दि0—11.04.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— दिनांकः—
प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, खगड़िया / मुजफ्फरपुर / माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— दिनांकः—
प्रतिलिपि— सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—5 / आर0एल0—40—41 / 2015 श्र0स0— 4192 दिनांकः— 15-6-18
प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।